



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939

No. 2098]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का.आ. 2384(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को उद्भूत हो रही निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उसे हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा गठित एक आयोग अधिसूचित करती है, नामतः :—

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि ;
- (ख) विद्युत में अनुज्ञप्तिधारियों से अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ;
- (ग) न्यायालय शुल्क अथवा याचिका शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ; और
- (घ) सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त शुल्क ।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग:—

- (क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर दाखिल करेगा ;

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के संबंध में लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 76/2017/फा. सं. 300196/4/2017-आ.क.नि-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक